प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका सिविल सं 1462/2025

1 – दीपक कुमार लिबर्टी, पिता ओम नारायण लिबर्टी , 27 वर्ष, निवासी गाँव–नागोई (डाभीपारा), तहसील बेलतारा, जिलाबिलासपुर (छ.ग.)

..... याचिकाकर्ता

बनाम

1 – छत्तीसगढ़ राज्य पंचायत तथा ग्राम विकास विभाग के सचिव के द्वारा, महानदी भवन, अटल नगर रायपुर, जिला रायपुर (सी. जी.)

2 – छत्तीसगढ़ राज्य चुनाव आयोग डी. के. एस. भवन के पास पुराना मंत्रालय रोड, मोती बाग, रायपुर, जिला रायपुर (सी. जी.)

3 – कलेक्टर सह जिला निर्वाचन अधिकारी बिलासपुर जिला बिलासपुर (सी. जी.)

4 – निर्वाचन अधिकारी (पंचायत)/उप–मंडल अधिकारी (राजस्व) बिल्हा, जनपद पंचायत, बिल्हा, जिला बिलासपुर (सी. जी.)

5 – सहायक निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) तहसीलदार–बिल्हा, जिला बिलासपुर (सी. जी.)

6 – अलका ज्वाला सूर्यवंशी निवासी मंगला बिलासपुर, तहसील तथा निवासी–बिलासपुर (सी. जी.)

7 – बुधनाथ पैगोर निवासी ग्राम नागोई, तहसील बेलतारा, जिला बिलासपुर (सी. जी.)

8 – दुर्गा करियारे निवासी उरतुन, तहसील बेलतारा, जिला बिलासपुर (सी. जी.)

9 – कपिल नाथ सूर्यवंशी निवासी ग्राम नागोई, तहसील बेलतारा, जिला बिलासपुर (सी. जी.)

10 – कुंती मेहर पिता नेतुराम मेहर निवासी गाँव नागोई, तहसील बेलतारा, जिला बिलासपुर (सी. जी.)

11 – लोक प्रकाश दिवाकर निवासी ग्राम नागोई, तहसील बेलतारा, जिला बिलासपुर (सी. जी.)

----उत्तरवादीगण

(वाद–कारण प्रकरण सूचना प्रणाली से लिया गया है)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

याचिकाकर्ता हेतु :--- श्री अवध त्रिपाठी, अधिवक्ता

राज्य/उत्तरवादीगण हेतु :---श्री प्रवीण दास, उप महाधिवक्ता

उत्तरवादी संख्या 2 हेतु :--- श्री वेंकटेश पांडे, अधिवक्ता

माननीय श्री अमितेंद्र किशोर प्रसाद,न्यायाधीश

पीठ पर आदेश

20/03/2025

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री अवध त्रिपाठी को सुना गया। राज्य/उत्तरवादी हेतु उप महाधिवक्ता श्री प्रवीण दास और उत्तरवादी संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता श्री आर.एस. मरहास की ओर से अधिवक्ता श्री वेंकटेश पांडे उपस्थित हुए।

2. इस रिट याचिका के माध्यम से, याचिकाकर्ता ने निम्नलिखित अनुतोष हेतु अनुरोध किया हैः

"i) यह कि, माननीय न्यायालय कृपया इस याचिका को स्वीकार करने और दिनांक 06.03.2025 के आदेश अनुलग्नक पी/1 को रद्द करने की कृपा करे और उत्तरवादी संख्या 3 को लिपिकीय/गणितीय त्रुटि को ठीक करने का निर्देश दे, जो उन्होंने उत्तरवादी संख्या 6 और 7 के डाले गए मतों के योग में की है और याचिकाकर्ता को निर्वाचित करने का निर्देश दे, क्योंकि उसने जनपद पंचायत बिल्हा में जनपद पंचायत चुनाव में अन्य प्रतियोगी उम्मीदवारों के बीच सबसे अधिक वोट हासिल किया है।

ii) यह कि, कोई अन्य अनुतोष जिसे यह माननीय न्यायालय उचित और उचित समझे, कृपया न्याय के हित में याचिकाकर्ता को याचिका की लागत के साथ प्रदान की जाए।"

3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता, जनपद पंचायत बिल्हा, निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 12 के सदस्य पद के लिए जनपद पंचायत चुनाव में भाग लेने वालों में से एक है। चुनाव 20.02.2025 को हुआ है और उपरोक्त तिथि को बूथवार मतगणना के बाद रिटर्निंग अधिकारी ने चुनाव का बूथवार परिणाम प्रदान किया है और याचिकाकर्ता, बुधनाथ पैगोर और श्रीमती अलका ज्वाला सूर्यवंशी के बूथवार डाले गए वोट के अनुसार निम्नलिखित है:

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

बूथ नं.	दीपक कुमार लिबर्टी	बुद्धनाथ पैगोर	अलका ज्वाला सूर्यवंशी
168	74	157	74
169	89	80	21
170	38	160	41
171	88	78	19
172	80	42	33
173	53	33	43
174	66	170	56
175	42	164	17
176	41	97	62
177	18	182	34
178	49	81	131
179	170	63	43
192	135	101	13
193	165	43	59
194	43	20	135
200	224	33	85
201	210	49	21
कुल	1585	1553	887
आरओ द्वारा घोषित वोट	1585	1668	772

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. इसके बाद याचिकाकर्ता ने मौखिक रूप से कई अभ्यावेदन दिए और संबंधित बूथवार डाले गए वोटों की जानकारी प्राप्त करने के बाद याचिकाकर्ता ने संबंधित कलेक्टर/जिला रिटर्निंग अधिकारी को अभ्यावेदन दिया है, जिसमें वोटों की अंतिम गणना और उसके परिणाम में हुई त्रुटि की ओर इशारा किया गया है। याचिकाकर्ता

को कृपया रिटर्न/विजेता उम्मीदवार घोषित किया जाए। (अनुलग्नक पी/3)।याचिकाकर्ता ने छत्तीसगढ़ पंचायत चुनाव नियम 1995 के नियम 81, 84 का संदर्भ भी संबंधित दस्तावेजों के साथ दिया है और उन्होंने आरटीआई अधिनियम, 2005 के तहत इसे उपलब्ध कराने के लिए एक आवेदन भी दिया है, आरटीआई अधिनियम के तहत याचिकाकर्ता का आवेदन दिनांक 04.03.2025 के आदेश द्वारा वापस कर दिया गया है। याचिकाकर्ता ने प्रत्येक मतदान केंद्र के योग पर लिपिकीय/गणितीय गलती को सुधारने के लिए फिर से एक आवेदन दायर किया है।जब उत्तरवादीगण ने याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन पर का ध्यान नहीं दिया, तो याचिकाकर्ता ने डब्ल्यूपीसी 1218/2025 दायर करते हुए इस माननीय न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, जिसमें माननीय न्यायालय ने याचिकाकर्ता के आवेदन पर विचार करने और सीजी पंचायत चुनाव नियम 1994 के नियम 84 के अनुसार 07.03.2025 को या उससे पहले आवश्यक आदेश पारित करने के निर्देश के साथ प्रकरण का निराकरण किया है।जिला निर्वाचन अधिकारी ने माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के तुरंत बाद अगले दिन अर्थात 06.03.2024 को छत्तीसगढ़ पंचायत चुनाव नियम के नियम 84 के प्रावधानों का पालन किए बिना मनमाने ढंग से आदेश पारित कर दिया और बूथवार डाले गए मतों की पूरी तरह से अनदेखी की और रिटर्निंग अधिकारी द्वारा बिना विचार कियेे बूथवार डाले गए मतों का योग करके किए गए त्रुटि योग को महत्व दिया और यदि डाले गए मतों की बूथ की गणना की गई है तो बुधराम पैगोर को याचिकाकर्ता से 32 वोटों के अंतर से चुनाव हारना चाहिए था, इसलिए आदेश विधि की दृष्टि में बिल्कुल भी मान्य योग्य नहीं है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

5. प्रतिवादी/राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्क का विरोध किया तथा प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता द्वारा यह वर्तमान याचिका डब्ल्यूपीसी क्रमांक 1218/2025 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 05/03/2025 के अनुपालन में जिला निर्वाचन अधिकारी, बिलासपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 06/03/2025 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है, जो पूर्णतः त्रुटिपूर्ण एवं निराधार है। ।रिट याचिका से स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता, सदस्य, जनपद पंचायत, बिल्हा के पद के लिए 20/02/2025 को हुए चुनाव के परिणामों से व्यथित है।वर्तमान परिदृश्य में परिणाम पहले ही घोषित हो चुके हैं तथा निजी प्रतिवादी को निर्वाचित घोषित किया जा चुका है।याचिकाकर्ता के पास उपलब्ध एकमात्र उपाय पंचायतीराज अधिनियम की धारा 122 के तहत चुनाव याचिका दायर करना है, इसलिए याचिकाकर्ता द्वारा दायर वर्तमान याचिका स्वीकार्य नहीं है और निम्नलिखित कारणों के आधार पर खारिज किए जाने योग्य है:---

"1. अनुच्छेद 243 'ओ' में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि चुनावी मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है और याचिकाकर्ता के लिए उपलब्ध एकमात्र उपाय चुनाव याचिका दायर करना है।2. माननीय सर्वोच्च न्यायालय के

हाल ही के निर्णय "**धरनीन बाई बनाम बोबली साहू एवं अन्य**" में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि चुनाव लड़ना कोई विधिक कार्यवाही या न्यायसम्य में वाद नहीं है, बल्कि विशुद्ध रूप से एक वैधानिक कार्यवाही है, इसके लिए प्रावधान की सख्ती से व्याख्या की जानी चाहिए।

3. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात पर भी जोर दिया है कि जहां विधि द्वारा एक वैधानिक उपाय बनाया गया है जो लागू करने के लिए विशेष उपाय देता है, उक्त उपाय का लाभ उठाया जाना चाहिए।यह अत्यंत सम्मानपूर्वक प्रस्तुत किया जाता है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पंचायत चुनावों के मामले में भी उपरोक्त सिद्धांत को लागू किया है।

4. यह सम्मानपूर्वक प्रस्तुत किया जाता है कि अनुलग्नक पी/1 का आदेश विधि के अनुसार और डब्ल्यूपीसी संख्या 1218/2025 में माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 05/03/2025 के आदेश द्वारा जारी निर्देश के अनुसार पारित किया गया है।यह दोहराया जाता है कि तत्काल रिट याचिका, जिसमें मुख्य शिकायत पंचायत चुनावों में याचिकाकर्ता की हार है, अपने वर्तमान स्वरूप में स्वीकार्य नहीं है और उपलब्ध एकमात्र उपाय पंचायत अधिनियम की धारा 122 के अनुसार चुनाव याचिका दायर करना है।

6. मैंने पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना है तथा अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का भी अध्ययन किया है। चूंकि परिणाम पहले ही घोषित हो चुके हैं और जनपद पंचायत बिल्हा, निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 12 के सदस्य और अन्य सदस्य पहले ही निर्वाचित हो चुके हैं, ऐसे में याचिकाकर्ता के पास एकमात्र उपाय छत्तीसगढ़ पंचायत राज्य अधिनियम की धारा 122 के तहत चुनाव याचिका दायर करना है, ऐसी स्थिति में याचिकाकर्ता द्वारा मतों की पुनर्गणना के लिए मांगी गई राहत पारित नहीं की जा सकती है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **सोहन लाल बनाम बाबू गांधी एवं अन्य के मामले में (2003) 1 एससीसी 108** में कंडिका 12 में निम्न प्रकार से निर्णय दिया:

"12. इस प्रकार, परिणाम घोषित होने के पश्चात, निर्वाचन अधिकारी के पास पुनर्मतगणना का निर्देश देने अथवा चुनाव के परिणामों को बदलने का कोई अधिकार नहीं है। परिणाम घोषित होने के पश्चात, पीड़ित पक्ष के पास एकमात्र उपाय धारा 122 के अंतर्गत चुनाव याचिका है।"

8. इसके अलावा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **(2023) 10 एससीसी 461 में रिपोर्ट किए गए धर्मिन बाई कश्यप बनाम बबली साहू और अन्य के मामले में 16 अगस्त, 2023 को निर्णय दिया गया , जिसमें कंडिका 4, 5, 6, 7, 13 और 17 में** निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया गया :

"4. संबंधित विवाद्यक पर पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत किए गए तर्कों पर विचार करने से पूर्व यह उल्लेख करना समीचीन होगा कि छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 (जिसे आगे उक्त अधिनियम कहा जाएगा) की धारा 122 के अनुसार उक्त अधिनियम के अंतर्गत किसी चुनाव को केवल निर्धारित तरीके से प्रस्तुत याचिका द्वारा ही प्रश्नगत किया जा सकता है, तथा पंचायत के मामले में, प्रश्नगत चुनाव की अधिसूचना की तारीख से 30 दिनों के भीतर अनुविभागीय अधिकारी (आर) को प्रस्तुत किया जा सकता है। राज्य सरकार ने उक्त अधिनियम, 1993 की धारा 43 के साथ धारा 95 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए छत्तीसगढ़ पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 (जिसे आगे निर्वाचन नियम, 1995 कहा जाएगा) नामक नियम बनाए हैं।

5. उक्त निर्वाचन नियम, 1995 का अध्याय IX "मतदान और चुनाव के लिए मतदान" से संबंधित है।नियम 77 के उप नियम (1) तथा उप नियम (2) के सुसंगत होने के कारण इन्हें यहाँ प्रस्तुत किया गया है:---

77. मतों की गिनती।–

(1) प्रत्येक मतपत्र, जिसे नियम 76 के अधीन अस्वीकृत नहीं किया गया है, की गणना की जाएगी: परन्तु निविदा मतपत्रों वाले किसी लिफाफे को नहीं खोला जाएगा तथा ऐसे किसी मतपत्र की गणना नहीं की जाएगी।

(2) किसी मतदान केन्द्र के संबंध में मतों की गणना पूरी हो जाने के पश्चात, रिटर्निंग अधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी, पंचों के लिए प्ररूप 16 में परिणाम पत्रक में तथा सरपंच, जनपद पंचायत और जिला पंचायत के सदस्यों के लिए प्ररूप 17, 18 और 19 में परिणाम पत्रक के भाग एक में प्रविष्टियां करेगा तथा प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा डाले गए कुल मतों की घोषणा करेगा।

6. नियम 80 मतों की फिर से गिनती से संबंधित है।इसके सुसंगत उप-नियम (1) तथा (2) को नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:-

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

80. मतों की पुनः गणना।–

(1) निर्वाचन अधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत ऐसे अन्य अधिकारी द्वारा नियम 77 के उपनियम (2) के अधीन प्रत्येक अभ्यर्थी को प्राप्त कुल मतों की घोषणा किए जाने के पश्चात् कोई अभ्यर्थी या उसकी अनुपस्थिति में उसका निर्वाचन अभिकर्ता या उसकी गणना अभिकर्ता, निर्वाचन अधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत ऐसे अधिकारी को लिखित रूप में आवेदन कर सकेगा कि पहले से गिने गए सभी या किन्हीं मतों की पुनर्गणना की जाए, जिसमें वह उन आधारों का उल्लेख करेगा जिन पर वह ऐसी पुनर्गणना की मांग करता है।

(2) ऐसा आवेदन किए जाने पर निर्वाचन अधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत ऐसा अन्य अधिकारी मामले का निर्णय करेगा और आवेदन को पूर्णतः या भागतः स्वीकार कर सकेगा या यदि वह उसे तुच्छ या अनुचित प्रतीत होता है तो उसे अस्वीकृत कर सकेगा।

7. यह उल्लेख करना उचित है कि राज्य सरकार ने उक्त अधिनियम 1993 के अंतर्गत 1995 के नियम भी बनाए हैं। उक्त नियम 1995 का नियम 5 "याचिका की विषय-वस्तु" से संबंधित है और नियम 6 "याचिकाकर्ता द्वारा दावा की जा सकने वाली राहत" से संबंधित है, जो इस प्रकार है:---

5. याचिका की विषय-वस्तु

चुनाव याचिका में:-

(क) उन सभी महत्वपूर्ण तथ्यों का संक्षिप्त विवरण होना चाहिए जिन पर याचिकाकर्ता निर्भर करता है;

(ख) पर्याप्त विवरणों के साथ, वे आधार बताए जाने चाहिए जिन पर चुनाव को प्रश्नगत किया गया है; (ग) याचिकाकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित होनी चाहिए तथा दलीलों के सत्यापन के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (V of 1908) में निर्धारित तरीके से सत्यापित होनी चाहिए।

6. याचिकाकर्ता द्वारा दावा की जा सकने वाले अनुतोष –

याचिकाकर्ता यह दावा कर सकता है–

(क) यह घोषणा कि निर्वाचित उम्मीदवारों में से सभी या किसी का निर्वाचन शून्य है; और
(ख) इसके अतिरिक्त यह और घोषणा कि वह स्वयं या कोई अन्य उम्मीदवार सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गया है।

13. विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि जहां किसी विधि द्वारा कोई अधिकार या दायित्व सृजित किया जाता है, तथा उसे लागू करने के लिए विशेष उपाय दिया जाता है, वहां कानून द्वारा प्रदत्त उपाय का लाभ अवश्य उठाया जाना चाहिए।यह भी एक सुस्थापित हितकारी सिद्धांत है कि यदि किसी कानून में किसी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने का प्रावधान है, तो उसे उसी तरीके से किया जाना चाहिए, किसी अन्य तरीके से नहीं।**चेरुकुरी मणि पति नरेंद्र चौधरी बनाम मुख्य सचिव, आंध्र प्रदेश सरकार और अन्य में,** यह देखा गया है कि "जहां विधि किसी चीज को एक विशेष प्रक्रिया का पालन करते हुए एक विशेष तरीके से करने के लिए निर्धारित करता है, इसे निर्धारित प्रक्रिया से विचलित हुए बिना, विधि के प्रावधानों का पालन करते हुए उसी तरीके से किया जाना चाहिए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

17. विधि की इस सामान्य स्थिति को दोहराने की शायद ही कोई आवश्यकता है कि जब चुनाव कानून से संबंधित वैधानिक प्रावधानों की व्याख्या की बात आती है, तो इस विषय पर न्यायशास्त्र प्रावधानों की सख्त व्याख्या को अनिवार्य बनाता है। चुनाव लड़ना कोई विधिक कार्यवाही या न्यायसम्य में वाद नहीं है, बल्कि विशुद्ध रूप से एक वैधानिक कार्यवाही है, जिसके लिए प्रावधानों की सख्ती से व्याख्या की जानी चाहिए।"

9. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णयों पर भरोसा करते हुए और बार–बार, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के साथ–साथ इस न्यायालय ने भी आदेश पारित किए हैं जिसमें कहा गया है कि चुनाव के मामलों में, एक बार परिणाम घोषित हो जाने के बाद, वोटों की पुनर्गणना के आवेदन पर विचार नहीं किया जा सकता है, इसका उपाय पंचायत राज अधिनियम, 1993 की धारा 122 के तहत निहित है।

10. इस तथ्य पर विचार करते हुए कि याचिकाकर्ता के पास पंचायत राज अधिनियम, 1993 की धारा 122 के तहत चुनाव याचिका दायर करने के लिए वैकल्पिक उपाय उपलब्ध है, याचिकाकर्ता द्वारा दायर वर्तमान याचिका पोषणीय नहीं पाई गई है और इसे खारिज किए जाने योग्य है और इसे पोषणीय नहीं मानते हुए खारिज किया जाता है।

सही/–
(अमितेंद्र किशोर प्रसाद)
न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः *हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु* ***निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।***